



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA MAHASAMUND

वन विद्यालय के पास, बीटीआई रोड, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़-493445

Near Forest School, BTI Road, Dist. Mahasamund, Chhattisgarh-493445



दूरभाष/Telephone No-077232 22436, UDISE Code: 22122102455



Website- <https://mahasamund.kvs.ac.in/>



E-mail-mahasamundkv@gmail.com

F.1-3/KVMSMD/2026-2027/147

Dated 03.09.2026

आदेश

(Internal Complaints Committee)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्रांक F.11-55/2000-KVS (Vig.)/Pt.I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक F.No. 32062/KVS/RORAIPUR/2018-19/13097-13137 दिनांक 25.08.2026 के अनुपालन में तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों की समिति पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, महासमुंद हेतु आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) के रूप में (प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं मुख्याध्यापक के विरुद्ध शिकायतों को छोड़कर शेष कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु) संबंधित सदस्यों की सहमति से पुनर्गठित तत्काल प्रभाव से की जाती है। इस समिति के अधिकार व कर्तव्य केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली आदेश संख्या F.11-55/2000-KVS (Vig.)/Pt.I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के अनुसार रहेंगे -

क्र.	सदस्य का नाम	पद / विवरण
1	श्रीमती प्रभा मिंज	पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई
2	श्रीमती इंदु साहू	अध्यक्ष, चेतना चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, डी-105, कृष्णा अपार्टमेंट एलआईजी, श्री कॉलोनी, मोवा रायपुर, NGO सदस्य
3	श्रीमती कांता एक्का	सदस्य (Member) हेड मास्टर, केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद
4	श्री ओमप्रकाश चंद्राकर	सदस्य (Member) केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद
5	श्रीमती राजेश्वरी सोनी	विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य (VMC Member) सदस्य, विद्यालय प्रबंध समिति, केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद

पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के कार्य निम्नवत होंगे -

1. एन.जी.ओ. सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जांच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा कार्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी केस मेधा कोतवाल ले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुरूप जांच करेंगे।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

टिप्पणी: (1) आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया गया है कि नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला सदस्य हों।

(2) पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किए जाने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक कार्य नहीं करेंगे।

संजय कंसल

प्राचार्य/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya

महासमुंद / MAHASAMUND

पिन / Pin 493445 छ.ग. CG

वितरण:-

1. समिति के पीठासीन अधिकारी - सूचनार्थ।
2. समिति के सदस्य/गैर-सरकारी संगठन के सदस्य - सूचनार्थ।
3. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर - सूचनार्थ।
4. विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष - सूचनार्थ।
5. सूचना पटल / गार्ड फाइल